बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
झाँसी

वित्त समिति की दिनॉक 12.03.2019 को सम्पन्न हुई 34वीं बैठक का कार्यवृत्त

बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी की वित्त समिति की 34वीं बैठक माननीय सचिव, प्राविधिक शिक्षा एवं अध्यक्ष, वित्त समिति की अध्यक्षता में दिनॉक 12.03.2019 को पूर्वान्ह, 11.30 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्यों ने प्रतिभाग किया।

1. श्री भुवनेश कुमार .... अध्यक्ष
   सचिव, प्राविधिक शिक्षा
   उ0प्र0 शासन, लखनऊ
   एवं
   अध्यक्ष, वित्त समिति
   बी0आई0ई0टी0, झॅासी

2. श्री अजय प्रताप सिंह .... सदस्य
   अनुसचिव
   वित्त विभाग
   प्रतिनिधि,
   प्रमुख सचिव
   वित्त विभाग
   उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

3. श्री एफ0आर0 खान .... सदस्य
   एडिशनल डायरेक्टर
   प्रा0शिक्षा निदेशालय,
   प्रतिनिधि,
   निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
   कानपुर उ0प्र0

4. श्री आर0 के0 डागौर .... सदस्य
   अधीक्षण अभियन्ता
   पी0टी0पी0पी0,
   प्रतिनिधि
   मुख्य महाप्रबन्धक
   पी0टी0पी0पी0,
   पारीछा, झॅासी

5. श्री सुधीर कुमार जैन .... विशेष आंमत्री
   वित्त एवं लेखाधिकारी
   बी0आई0ई0टी0, झॅासी

6. प्रो0 वी0के0 त्यागी .... सदस्य सचिव
   निदेशक
   बी0आई0ई0टी0, झॅासी

कार्यवाही का विवरण

34.01 वित्त समिति की दिनॉकः 01.09.2017 को सम्पन्न हुई 33 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

समिति द्वारा दिनांक 01.09.2017 को सम्पन्न हुई 33वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

34.02 वित्त समिति की दिनॉकः 01.09.2017 को सम्पन्न हुई 33 वीं बैठक में प्रस्तुत किये गये बिन्दु, समिति का निर्णय एवं उन पर की गयी कृत कार्यवाही का विवरण।

समिति द्वारा दिनॉक 01.09.2017 को सम्पन्न हुई 33वीं बैठक में प्रस्तुत किये गये बिन्दु, समिति का निर्णय एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है। (संलग्नक 1)

34.03 (अ) 1. वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु राजस्व एवं पूंजीगत बजट का प्रस्ताव

क0सं0	विवरण	धनराशि (लाख में)
	आय पक्ष	
01	प्रारम्भिक अवशेष	984.87
02	शिक्षण शुल्क से वास्तविक आय	1071.02
03	शासन से प्राप्त अनुदान वेतन भत्ते व अन्य मद रू0 480.87 शासन से प्राप्त अनुदान वेतन पूंजी गत मद रू0 685.01	1165.88
04	अन्य प्राप्तियां	146.93
	कुल आय	3368.70
	व्यय पक्ष	
05	वेतन, गैर वेतन एवं पूंजी गत मदों में (एफ0डी0आर0)व्यय की गयी धनराशि	2953.06
	अवशेष धनराशि	415.64

34.03 (अ) 2. वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु राजस्व एवं पूंजीगत बजट का प्रस्ताव

क0सं0	विवरण	धनराशि (लाख में)
	आय पक्ष	
01	प्रारम्भिक अवशेष	415.64
02	शिक्षण शुल्क से अनुमानित आय	1103.50
03	शासन से प्राप्त अनुदान वेतन भत्ते व अन्य मद रू0 538.87 शासन से प्राप्त अनुदान वेतन पूंजी गत मद रू0 629.74	1168.61
04	अन्य प्राप्तियां अनुमानित	207.34
	कुल प्रस्तावित आय अनुमानित	2895.09
	व्यय पक्ष	
05	वेतन, गैर वेतन एवं पूंजी गत मदों में अनुमानित धनराशि	2428.53
	अवशेष धनराशि	466.56

34.03 (अ) 3. वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु राजस्व एवं पूंजीगत बजट का प्रस्ताव

क0सं0	विवरण	धनराशि (लाख में)
	आय पक्ष	
01	प्रारम्भिक अवशेष	466.56
02	शिक्षण शुल्क से प्रस्तावित आय	1115.40
03	शासन से प्राप्त अनुदान वेतन भत्ते व अन्य मद रू0 553.62 शासन से प्राप्त अनुदान वेतन पूंजी गत मद रू0 667.50	1221.12
04	अन्य प्राप्तियां प्रस्तावित	243.65
	कुल प्रस्तावित आय	3046.73
	व्यय पक्ष	
05	वेतन, गैर वेतन एवं पूंजी गत मदों में प्रस्तावित व्यय	2698.22
	अवशेष धनराशि	348.51

34.03 (अ) 3. वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु राजस्व एवं पूंजीगत बजट का प्रस्ताव

क्रमांक	मद का विवरण	वित्तीय वर्ष 2017–18 का वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुमोदित व्यय	वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रस्तावित व्यय
1	वेतन एवं भत्ता	972.20	1100.00	1380.00
2	पुनरीक्षित वेतन का एरियर	0.00	30.00	30.00
3	अतिथि शिक्षकों को पारिश्रमिक	124.68	80.00	80.00
4	सुरक्षा कर्मियों की मजदूरी	32.96	40.00	50.00
5	गृह कर	0.00	38.00	8.00
6	मानदेय	2.56	3.00	4.00
7	यात्रा व्यय	3.49	1.25	3.00
8	कनवेन्स	0.41	0.30	0.50
9	दूरभाष व्यय	0.62	0.50	1.00
10	कार्यालय व्यय	23.64	23.00	28.00
11	सेमिनार	0.16	0.50	1.00
12	चिकित्सा व्यय	6.71	7.00	7.00
13	डाक व्यय	0.11	0.50	0.50
14	मेडल व रिवार्डस्	0.00	1.00	1.00
15	बागवानी	14.70	16.00	18.00
16	अध्ययन भ्रमण	0.15	1.00	1.00
17	विज्ञापन	18.18	10.00	20.00
18	स्टेशनरी / छपाई कार्य	1.10	1.50	2.50
19	विधिक व्यय	5.18	2.00	5.00
20	ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट	0.32	1.00	2.00
21	विद्युत व्यय	147.06	175.00	200.00
22	कार्यालय उपकरण / फर्नीचर / कम्प्यूटर का रखरखाव एवं प्रतिस्थापन व्यय आदि	9.44	3.00	4.00
23	सिविल अनुरक्षण	21.99	22.50	25.00
24	विधुत अनुरक्षण	26.74	32.00	30.00
25	डी0 ओ0 सी0	0.27	1.00	2.00
26	पुस्तकालय / मैग्जीन व्यय	4.19	1.00	2.00
27	मेरिट छात्रवृत्ति	0.99	4.00	4.00
28	शोध एवं विकास	0.15	1.00	1.00
29	कर्मचारियों की वर्दी	0.47	0.00	0.60
30	सम्परीक्षा शुल्क	0.00	1.00	10.00
31	छात्र किया–कलाप / खेल–कूद	9.97	10.00	10.00
32	वाहन व्यय	7.73	6.00	7.00
33	इन्टरनेट अनुरक्षण	4.55	9.00	9.00
34	छात्रावास अनुरक्षण	0.73	2.00	5.00
35	परीक्षा व्यय	27.88	28.00	30.00
36	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1.00	3.00	3.00
37	ए के टी यू को भुगतान	15.88	0.00	0.00
38	बैंक चार्ज	0.11	0.00	0.00
	योग	**1486.32**	**1655.05**	**1985.10**

क्रमांक	मद का विवरण (धनराशि लाख मे)	वित्तीय वर्ष 2017–18 का वास्तविक व्यय	वर्ष 2018–19हेतु अनुमोदित	वर्ष 2019–20 हेतु अनुमोदित
	पूंजीगत व्यय			
39	वाई–फाई हेतु	0.00	23.77	0.00
40	प्रयोगशाला उपकरणों हेतु	79.04	0.00	0.00
41	विद्युत व्यवस्था का सुद्रढीकरण	0.00	35.00	0.00
42	बुडेन कोर्ट	0.00	43.68	0.00
43	भू–धारकों का भुगतान	71.99	0.00	20.00
44	ई0 आर0 पी0 साफ्टवेयर की स्थापना	22.32	0.00	0.00
45	वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना	41.30	41.29	0.00
46	144 सीटेड पुरूष छात्रावास	99.98	0.00	0.00
47	सेन्ट्ल लाईब्रेरी एवं प्लेसमेंट सेल	200.00	200.00	367.50
48	100 सीटेड छात्रावास	250.00	251.71	0.00
49	प्रयोगशालाओं के उच्चीकरण/ नवीनीकरण /निर्माण	53.03	53.03	0.00
50	टाईप 3 आवास	6.67	0.00	0.00
51	सडक निर्माण/मरम्मत	9.03	0.00	0.00
52	लैबो की साज सज्जा एवं अन्य सहवर्ती उपकरण	0.00	125.00	0.00
53	एकेडमिक भवन	0.00	0.00	300.00
54	लोन टेनिस कोर्ट का निर्माण	0.00	0.00	25.62
	योग	**2319.68**	**2428.53**	**2698.22**
	गुणवत्ता सुधार के अर्न्तगत प्रस्ताव			
55	टिक्यूप–iii प्रोग्राम	32.94	650.00	650.00
56	पं0 दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	0.00	1102.17	501.35
	महायोग	**2352.62**	**4180.70**	**3849.57**

34.05 वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में कराये गये निर्माण (पूंजीगत) कार्य की अद्यतन स्थिति।

1. 144 सीटेड पुरूष छात्रावास का निर्माण

समिति को यह अवगत कराना है कि, संस्थान में धनराशि रू0 955.58 लाख की लागत से तैयार किया जाने वाला 144 सीटेड छात्रावास पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है एवं इसके हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। समिति द्वारा उक्त कार्य पर संतोष व्यक्त किया गया।

2. संस्थान परिसर की सड़कों का मरम्मत कार्य।

समिति संस्थान की मरम्मत कार्य की अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

3. टाइप–3 के 04 आवासों का निर्माण

समिति टाइप 3 के चार आवासों के 100 प्रतिशत निर्माण कार्य की सूचना से अवगत हुई।

4. संस्थान में वाई–फाई सुविधा का विस्तार।

समिति को अवगत कराया गया कि, संस्थान में वाई फाई की सुविधा के विस्तार कार्य हेतु रू0 24.00 लाख के सापेक्ष रू0 23.74 लाख का भुगतान करते हुये कार्य पूर्ण करा लिया गया है, समिति द्वारा अवलोकन कर संतोष व्यक्त किया गया।

5. प्रयोगशालाओं के उच्चीकरण/नवीनीकरण/निर्माण।

समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में रू0 106.06 लाख शासन से अवमुक्त किया गया था जिसके सापेक्ष पूर्ण भुगतान कर प्रयोगशालाओं के उच्चीकरण/नवीनीकरण/निर्माण पूर्ण करा लिया गया है।

6. 100 सीटेड छात्रावास का निर्माण ।

समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में रू0 501.71 लाख धनराशि की लागत से छात्रावास का निर्माण कार्य दिनांक 05/09/2018 से प्रारम्भ कर दिया गया है। समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर संतोष व्यक्त किया गया।

7. सेन्ट्रल लाइब्रेरी एवं प्लेसमेंट सेल का निर्माण।

समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में सेन्ट्रल लाइब्रेरी एवं प्लेसमेंट सेल का निर्माण हेतु रू0 400.00 लाख धनराशि प्राप्त हो चुकी है जिसके सापेक्ष दिनांक 10/09/2018 से निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। समिति द्वारा उक्त कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।

8. नवनिर्मित 144 सीटेड छात्रावास हेतु फर्नीचर/उपकरण का क्रय।

समिति को अवगत कराया गया कि, उक्त छात्रावास के फर्नीचर/उपकरण हेतु दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, ए0के0टी0यू0, लखनऊ से प्राप्त अनुदान से कार्य कराया जा रहा है।

9. मल्टी परपज हाल

समिति को अवगत कराया गया कि, प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐकेटीयू लखनऊ द्वारा संचालित पं0 दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के द्वारा संस्थान में मल्टीपरपज हाल के निर्माण हेतु रू0 836.35 लाख पर सैधांन्तिक सहमति प्रदान कर दी गयी है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है, एवं तकनीकि स्वीकृति प्राप्त हो गयी है, एवं कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

10. लैबो की साज सज्जा एवं अन्य सहवर्ती उपकरणो आदि का क्रय

समिति का अवगत कराना है कि संस्थान में पूर्व में स्थापित की गयी लैबो की साज सज्जा एवं अन्य सहवर्ती उपकरणो आदि के क्रय हेतु रू0 125.00 लाख शासन से अवमुक्त किया गया है जिसके क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही प्रकियाधीन है।

34.06 बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रोद्योगिकी संस्थान, झाँसी की स्थापना हेतु ग्राम कोछाभांवर की अधिग्रहीत भूमि हेतु भू-धारकों को बढी हुयी दर से प्रतिकर भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

समिति को अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रोद्योगिकी संस्थान, झाँसी की स्थापना हेतु ग्राम कोछाभांवर की अधिग्रहीत भूमि हेतु भू-धारकों को बढी हुयी दर से प्रतिकर भुगतान हेतु माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर संस्थान के बैंक खाते से दिनांक 22.03.2018 को रू0 7199026.00 सीधे कुर्क कर लिया गया है। समिति द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया कि संस्थान स्तर से प्रभावी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करायी गयी। पुनः निर्देशित किया गया कि, प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

34.07 नगर निगम, झाँसी को संस्थान द्वारा गृहकर की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

समिति को अवगत कराया गया कि, पूर्व में नगर निगम, झाँसी द्वारा वार्षिक गृहकर के रूप में रू0 5,44,154.39 को 10 प्रतिशत छूट के साथ रू0 4,89,739.00 का भुगतान किया जाता रहा है। उसके पश्चात् वर्ष 2014 में झाँसी नगर निगम बन जाने के कारण नगर निगम, झाँसी द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु संस्थान पर सम्पत्ति कर (गृहकर) के रूप में वार्षिक रू0 4,89,38,184.00 (चार करोड़ नबासी लाख अड़तीस हजार एक सौ चौरासी मात्र) आरोपित किया गया था। उक्त प्रस्ताव दिनॉक 14.09.2016 को आहूत हुयी संस्थान की 32वीं वित्त समिति की बैठक के मद संख्या 32.13 पर प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्देश दिये गये कि, नगर निगम कार्यालय से विस्तृत आवासीय/अनावासीय क्षेत्रफल का सर्वे के उपरांत कुल जमा की जाने वाली धनराशि से सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये जिससे कि, बजट में प्राविधान किया जा सके। तदक्रम में नगर निगम द्वारा गृहकर की वार्षिक धनराशि को कम करते हुये रू0 94,24,392.00 (चौरानवें लाख चौबीस हजार तीन सौ वानवें मात्र) आरोपित किया गया। गृहकर की धनराशि अधिक होने के आलोक में उक्त प्रस्ताव दिनॉक 01.09.2017 को आहूत हुयी संस्थान की 33वीं वित्त समिति की बैठक के मद संख्या 33.06 (बी) पर प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि नगर निगम द्वारा निर्धारित कर का वैद्य परीक्षण कराकर/नगर निगम की नियमावली के आलोक में गणना कराकर विधिक राय लेने के उपरांत ही भुगतान प्रकिया अमल में लाई जाये एवं शासन को भी सूचित किया जाये। जिसके क्रम में संस्थान द्वारा लगातार प्रयास करने एवं आपत्ति किये जाने के उपरांत नगर निगम, झाँसी द्वारा वार्षिक गृहकर रू0 76,88,319.00 (छिहत्तर लाख अठासी हजार तीन सौ उन्नीस मात्र) आरोपित किया गया। संस्थान द्वारा लगातार गृहकर की धनराशि को कम कराने हेतु शासन से मिले दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यालय आदेश बीआईईटी-135/स्था0/का0आ0/2018-703 दिनॉक 17 नवम्बर, 2018 द्वारा संस्थान द्वारा देय गृहकर की धनराशि का नगर निगम की नियमावली के आलोक में गृहकर निर्धारण हेतु स्वआकलन करने हेतु समिति का गठन किया। समिति द्वारा नगर निगम की नियमावली के आलोक में गृहकर का स्वआकलन कर अपनी आख्या दिनॉक 19.01.2019 को प्रस्तुत की जिसके अनुसार संस्थान पर गृहकर देय निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Tax imposed by Jhansi Nagar Nigam	7688319.85	7688319.85	7688319.85	7688319.85	7688319.85
Self-tax assessment by institute	748681.4	759183.1	774686.7	774686.7	778194.6
Tax paid by Institute	489739.00	489739.00	489739.00	-	-
Tax to be paid by Institute as per self-assessment	258942.4	269444.1	284947.7	774686.7	778194.6

उक्त स्वआकलन के आधार पर आगणित गृहकर को संशोधित करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी एवं जिलाधिकारी, झाँसी को पत्र सं0 बीआईईटी–113/ स्था0–जि0प्रशा/2019–2028 दिनॉक 23 जनवरी, 2019 प्रेषित किया जा चुका है। दिनॉक 06.02.2019 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नगर आयुक्त को गृहकर का परीक्षण कर समाधान हेतु निर्देशित किया गया है। तदक्रम में नगर आयुक्त द्वारा पत्र सं0 1109/ पी0ए0/न0आ0/न0नि0/2018–19 दिनॉक 07.02.2019 के द्वारा एक समिति गठित कर दिनॉक 16.02.2019 तक आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त समिति की आख्या वर्तमान तक अप्राप्त है। समिति की आख्या के आधार पर नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर का तथ्यात्मक निर्धारण होने के उपरान्त विधिक परीक्षण कराकर भुगतान हेतु सम्यक कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। समिति द्वारा उक्त पर संतोष व्यक्त करते हुये त्वरित अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

34.08 संस्थान के समस्त एकाउन्टस एवं उसमें अवशेषों का विवरण/अवशेष के विनियोग का विवरण।

संस्थान के अवशेषों एवं विनियोग की गयी धनराशि से समिति अवगत हुयी।

34.09 विश्व बैक कार्यक्रम (TEQIP-III) के अधीन स्वीकृत धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय का विवरण।

समिति द्वारा विश्व बैक कार्यक्रम (TEQIP-III) के अधीन वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय की गयी धनराशि रू0 32.95 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 184.62 लाख अर्थात रू0 217.57 लाख का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा उक्त कार्यक्रम में संस्थान की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया।

34.10 संस्थान में स्थापित एण्डाउमेंट फण्ड हेतु पृथक रूप से संचालित खाते में अवशेष धनराशि का विवरण।

समिति द्वारा वित्त समिति की 33वीं बैठक में एण्डाउमेंट फण्ड की नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया गया था। इस क्रम में नियमावली तैयार की जा चुकी है।

34.11 संस्थान के ऑडिटेड एकाउन्टस की स्थिति व ऑडिट आपत्तियों का विवरण।

संस्थान की वित्त समिति की 33वीं बैठक में समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि संस्थान की विगत वर्षो की सम्परीक्षा अविलम्ब प्रारम्भ कराई जाये। इस क्रम में समिति को अवगत कराया गया की संस्थान की विगत वर्षो की सम्परीक्षा का कार्य स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा दिनांक 14.01.2019 से प्रारम्भ कर दिया गया है। इस पर समिति द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रो0 वी0के0 त्यागी)
निदेशक/सदस्य सचिव, वित्त समिति
बी0आई0ई0टी0, झॉसी

(श्री अजय प्रताप सिंह)
अनुसचिव, वित्त विभाग
उ0प्र0 शासन लखनऊ

28.03.19
(भुवनेश कुमार)
सचिव,
प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0 शासन, लखनऊ
एवं अध्यक्ष, वित्त समिति, बी0आई0ई0टी0, झॉसी

वित्त समिति की 34वीं बैठक के बिन्दु संख्या 34.02 का संलग्नक

34.02 वित्त समिति की दिनॉकः 01.09.2017 को सम्पन्न हुई 33 वीं बैठक में प्रस्तुत किये गये बिन्दु, समिति का निर्णय एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण।

मद सं.	वित्त समिति हेतु प्रस्ताव	वित्त समिति का निर्णय	कृत कार्यवाही/अभ्युक्ति
33.01	वित्त समिति की दिनॉकः 14.09.2016 को सम्पन्न हुई 32 वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन।	समिति द्वारा 32वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुये सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
33.02	वित्त समिति की दिनॉकः 14.09.2016 को सम्पन्न हुई 32वीं बैठक में प्रस्तुत किये गये बिन्दु, समिति का निर्णय एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण।	समिति द्वारा अवलोकन कर संतोष व्यक्त किया गया।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
	(32.12) वित्त एवं लेखा विभाग में आवश्यक कार्मिकों के सम्बन्ध में।	(32.12) समिति ने निर्देश दिया कि, प्रस्तावित कार्मिकों के चयन हेतु अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से सम्पर्क कर नियमानुसार शीध्रातिशीघ्र कार्यवाही कर ली जाये।	इस क्रम में संस्थान स्तर से रिक्त पद का विवरण अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया हैं।
33.03	वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष का बजट प्रस्ताव।	(अ) समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु राजस्व पूंजीगत पक्ष का अवलोकन किया गया एवं कुल सम्यक विचारोपरान्त राजस्व एवं पूँजीगत पक्ष के अर्न्तगत रू0 2535.41 लाख के व्यय पर सहमति व्यक्त की गयी। (ब) समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में संस्थान की विभिन्न श्रोंतों से वास्तविक आय रू0 2383.83 लाख का अवलोकन किया गया।	(अ) अवगत कराना है कि वर्ष 2017–18 के राजस्व एवं पूँजीगत मदों हेतु अनुमोदित राशि रू0 2535.41 लाख के सापेक्ष कुल रू0 2319.68 लाख व्यय हुआ है। (ब) कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
	1. 144 सीटेड छात्रावास के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि का प्रस्ताव।	1. समिति द्वारा पूंजीगत बजट के अन्तर्गत अवशेष धनराशि रू0 99.98 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्देश दिया गया।	1. संस्थान स्तर से प्रस्ताव प्रेषित किया गया जिसके तहत रू0 99.98 लाख प्राप्त होने पर निर्माण इकाई को भुगतान किया गया।
	2. केन्द्रीय पुस्तकालय एवं प्लेसमेंट सेल भवन हेतु प्रस्ताव।	2. समिति द्वारा केन्द्रीय पुस्तकालय एवं प्लेसमेंट सेल भवन हेतु प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्देश दिया गया।	2. संस्थान स्तर से केन्द्रीय पुस्तकालय एवं प्लेसमेंट सेल भवन हेतु शासन से 400.00 लाख संस्थान को आवंटित किया गया एवं संस्थान द्वारा निर्माण ईकाई को भुगतान कर दिया गया।
	3. बास्केटबाल एवं बैडमिंटन कोर्ट हेतु वुडेन फ्लोरिंग।	3. समिति द्वारा बास्केटबाल एवं बैडमिंटन कोर्ट हेतु वुडेन फ्लोरिंग हेतु रू0 43.68 लाख के व्यय की अनुमति दी गयी।	3. प्राप्त निर्देश के कम में बास्केटबाल एवं बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
	4. संस्थान में चिकित्सा/आकस्मिक कार्यो हेतु एम्बुलेंस का कय।	4. समिति द्वारा उक्त कय पर असहमति व्यक्त की।	4. कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
	5. संस्थान के केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु पुस्तकों एवं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स का कय।	5. समिति द्वारा संस्थान के केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु पुस्तकों एवं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स के लिए रू0 13.71 लाख की सहमति व्यक्त की गयी।	5. प्रस्तावित कय (TEQIP-III) मद से कर लिया गया है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।

			किश्त के रूप में दिनॉक 30.03.2017 को रू0 53.43 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 106.85 लाख अवमुक्त किया गया है। इस कम में उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य हेतु संस्थान स्तर से रू0 141.85 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। अवशेष धनराशि रू0 35.00 लाख को संस्थान स्तर पर अवशेष धनराशि से वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुमोदन प्राप्त हुआ था किन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि की मांग न किये जाने के कारण भुगतान न किया जा सका अतः समिति से अनुरोध है कि धनराशि रू0 35.00 लाख वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु कार्य कराने एवं भुगतान करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
33.06	(अ) बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रोद्योगिकी संस्थान झॉसी की स्थापना हेतु ग्राम कोछाभांवर की अधिग्रहित भूमि के भूधारकों को बढी हुयी दर से प्रतिकर भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति। (ब) नगर निगम, झॉसी द्वारा संस्थान के गृहकर की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में। (स) वर्चुअल क्लास रूम की स्थापना हेतु धनराशि।	(अ) समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं निर्देश दिया गया कि, उक्त प्रकरण को जिलाधिकारी, झॉसी से विचार विमर्श कर बढ़ी हुयी दरों का विधिक परीक्षण करा कर वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराया जाये न्यायालय द्वारा पारित आदेश भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अनुरूप है या नहीं न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सम्भावना सुनिश्चित कर ली जाये उक्त धनराशि के भुगतान के पश्चात् संस्थान स्तर पर भू–अर्जन से सम्बन्धित प्रतिकर भुगतान की कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। उपरोक्त बिन्दुओं पर सम्यक रूप से विचार एवं विधिक राय लेने के उपरांत ही शासन के संज्ञान में लाते हुये व्यय की कार्यवाही अमल में लायी जाये। (ब) समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि, नगर निगम, झॉसी द्वारा निर्धारित कर का वैद्य परीक्षण कराकर नगर निगम की नियमावली के आलोक में गणना कराकर विधिक राय लेने के उपरांत ही भुगतान प्रकिया अमल में लायी जाये। (स) समिति द्वारा 05 वर्चुअल क्लास रूम की स्थापना हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।	समिति द्वारा प्रदत निर्देश के कम में जिलाधिकारी, झॉसी, अपर जिलाधिकारी, झॉसी, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, झॉसी, जिला शासकीय अधिवक्ता, सिविल, झॉसी, निदेशक बी0आई0ई0टी0, झॉसी तथा भू–धारकों मध्य हुई बैठके सम्पन्न हुयी जिसकी सूचना से शासन को भी अवगत कराया गया तदोपरांत भूमि की बढी हुयी दरों से मुआवजा के भुगतान के परिपेक्ष में मा0 न्यायायल द्वारा दिनॉक 22.03.2018 को आदेश पारित करते हुये सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में संचालित संस्थान खाते से रू0 71,99,026/– सीधे बैंक से कुर्क कर ली गयी है। अतः समिति से अनुरोध है कि, मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रू0 71,99,026/– के भुगतान का अवलोकन करने का कष्ट करें। एवं अनुमोदन देने का कष्ट करें। शासन के निर्देश के कम में वरिष्ठ अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद से विधिक राय हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। विवरण बिन्दु सं0 34.06 पर वर्णित है। (ब) समिति द्वारा प्राप्त निर्देश के कम में नगर आयुक्त, नगर निगम, झॉसी के साथ हुयी बैठकों एवं गजट/नगर निगम नियमावली के परीक्षण उपरांत संस्थान का वार्षिक गृहकर रू0 94,24,392.00 को कम करते हुये रू0 76,88,319.85 निर्धारित किया गया, जिसे संस्थान के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश उपाध्याय, एडवोकेट मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से परामर्श/विधिक राय लेने के उपरांत शासन को प्रेषित कर दिया गया है। की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण बिन्दु सं0 34.07 पर वर्णित है। (स) समिति द्वारा प्राप्त निर्देश के कम में वर्चुअल क[illegible] रूम की स्थापना हेतु शासन को प्रस्ताव भेज[illegible]

33.04	(क) वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रयोगशालाओं एवं संस्थान की अन्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु प्रस्ताव। संस्थान में प्रशासकीय/वित्तीय/अकादमिक सेवाओं का ऑटोमेशन (ख) डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा अवमुक्त धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय का विवरण।	समिति द्वारा संस्थान की प्राथमिकताओं के आधार पर क्रय कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2016–17 में जारी क्रय आदेश रू0 86.16 लाख के व्यय पर सहमति व्यक्त की गयी। समिति द्वारा संस्थान में प्रशासकीय/ वित्तीय/ अकादमिक सेवाओं का ऑटोमेशन कार्य हेतु यूपीडेस्को, लखनऊ को जारी क्रय आदेश पर सहमति प्रदान की गयी। (ख) समिति द्वारा डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देश दिया गया।	समिति द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में 2016–17 में क्रय आदेश के सापेक्ष भुगतान किया गया। यूपीडेस्को, लखनऊ से संस्थान में प्रशासकीय/वित्तीय/अकादमिक सेवाओं का ऑटोमेशन कार्य करा लिया गया है। (ख) समिति के निर्देश के क्रम में डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है।
33.05	वित्तीय वर्ष 2016–17 में कराये गये पूंजीगत कार्य की अद्यतन स्थिति। 1. 300 किलो लीटर क्षमता के भूमिगत जलाशय का निर्माण। 2. 36 सीटेड एस0सी0 एस0टी0 छात्रावास का निर्माण। 3. 144 सीटेड पुरूष छात्रावास का निर्माण। 4. संस्थान परिसर की सड़कों का मरम्मत कार्य। 5. टाईप–3 के 04 आवासों का निर्माण। 6. विद्युत व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।	1. शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि 55.00 लाख के सापेक्ष जलाशय के निर्माण की स्थिति से समिति को अवगत कराया गया। 2. एआईसीटीई द्वारा प्रेषित धनराशि 200.00 के सापेक्ष छात्रावास निर्माण की स्थिति से समिति को अवगत कराया गया। 3. शासन स्तर से उक्त कार्य हेतु अंतिम किस्त के रूप में रू0 99.98 लाख वांछित की सूचना से समिति अवगत हुयी। 4. समिति को अवगत कराया गया कि, सड़क निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि रू0 90.29 लाख के सापेक्ष 90 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है एवं सड़क मरम्मत का कार्य 20 प्रतिशत अवशेष है। 5. समिति को अवगत कराया गया कि, टाईप–3 के 04 आवासों के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि रू0 66.71 लाख के सापेक्ष 90 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। 6. समिति द्वारा रू0 35.00 लाख की सीमा में कार्य कराने की अनुमति प्रदान की।	1. निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। 2. निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। 3. शासन स्तर से अंतिम किस्त के रूप में रू0 99.98 प्राप्त हो चुकी है एवं निर्माण इकाई को भुगतान कर दिया गया है। 4. उक्त के क्रम में निर्माण इकाई को 10 प्रतिशत अवशेष धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। जिसके सापेक्ष संस्थान परिसर की सड़क की मरम्मत का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। 5. उक्त के क्रम में निर्माण इकाई को 10 प्रतिशत अवशेष धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। जिसके सापेक्ष संस्थान में टाईप–3 के 04 आवासों का निर्माण कार्य को पूर्ण करा कर हस्तांतरण की कार्यवाही कर ली गयी है। 6. समिति को यह अवगत कराना है कि विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु शासनादेश संख्या–3860/सोलह–1–2016–(बजट–4)/2011 दिनांक 28.09.2016 के माध्यम से प्रथम [illegible]

			जिस पर वर्चुअल क्लास रूम के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गयी परन्तु निविदा न आने के कारण उक्त कार्य यूपीडेस्को, लखनऊ से कराया जा रहा है एवं यूपीडेस्को को रू0 82,59,276.00 का कार्य आदेश जारी कर दिया गया है एवं इसके सापेक्ष 50 प्रतिशत का भुगतान कर दिया गया है।
33.07	संस्थान के समस्त एकाउन्टस एवं उसमें अवशेषों का विवरण/अवशेष के विनियोग का विवरण।	समिति संस्थान के खातों में अवशेष धनराशि एवं सावधि प्रमाण–पत्र में जमा धनराशि का अवलोकन किया गया।	संस्थान के बैंक खातों में अवशेष धनराशि एवं सावधि से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
33.08	परीक्षा संबंधी कार्यो पर व्यय की गई धनराशि का विवरण।	समिति द्वारा परीक्षा सम्बन्धी कार्यो पर व्यय की गयी धनराशि का अवलोकन किया गया।	संस्थान स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
33.09	विश्व बैंक कार्यक्रम (TEQIP-II) के अधीन स्वीकृत राशि एवं उसके सापेक्ष व्यय का विवरण।	विश्व बैंक कार्यवृत्त के अधीन प्राप्त धनराशि रू0 800.00 लाख के सापेक्ष रू0 717.43 लाख के व्यय का अवलोकन किया गया एवं आगामी भुगतानों हेतु विश्व बैंक कार्यालय द्वारा निर्गत आदेशों के आलोक में कार्यवाही का निर्देश दिया गया।	समिति के निर्देश के कम में विश्व बैंक कार्यालय द्वारा निर्गत आदेशों के आलोक में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
33.10	संस्थान में स्थापित एण्डाउमेंट फण्ड हेतु पृथक रूप से संचालित खाते में अवशेष धनराशि का विवरण।	समिति द्वारा एण्डाउमेंट फण्ड में अवशेष धनराशि रू0 185.76 लाख का अवलोकन किया गया समिति द्वारा एण्डाउमेंट फण्ड की नियमावली बनाये जाने के निर्देश दिये गये।	एण्डाउमेंट फण्ड हेतु नियमावली तैयार कर ली गयी है।
33.11	संस्थान के ऑडिटेड एकाउन्टस की स्थिति व ऑडिट आपत्तियों का विवरण।	समिति द्वारा संस्थान के वित्तीय वर्ष 2013–14 से आगामी वर्षो तक का आडिट कार्य कराये जाने हेतु सम्परीक्षा कार्यालय से सम्पर्क कर कार्य प्रारम्भ कराये जाने का निर्देश दिया गया था।	उक्त के कम में अवगत कराना है कि स्थानीय लेखा परीक्षा द्वारा समपरीक्षा कार्य दिनांक 14/01/2019 से प्रारम्भ कर दिया गया है।
33.12	वित्त समिति की 23वीं से 32वीं बैठक तक लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण।	समिति द्वारा वित्त समिति की 23वीं से 32वीं बैठक तक लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का अवलोकन किया गया।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।